

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-367/2018

- 1-रोहताश पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।  
2-मदनलाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी। -वादीगण


बनाम्

- 1-जगदीश पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी,  
2-शमादेवी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी,  
3-सिलोचना पत्नी हरिसिंह पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी पीलीबंगा तहसील  
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।  
4-शारदा पत्नी कुलदीप पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा  
जिला हनुमानगढ। -प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महेश कुमार गौड वकील वादीगण मिन जाभिन मुदई श्री एच.एस.गिल प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज आराजी चक नं. 3 एम.एस.टी.एस.एम. के खाता संख्या 38/34 में 12.397 है. आराजी अनकमाण्ड में 1/3 हिस्सा अर्थात 4.132 है. वादीगण प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्सा के अर्थात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर चक नं. 3 एम.एस.टी.एस.एम. के खाता संख्या 38/34 में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद  
वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...12/9/18...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...12/9/18.....को जारी  
किया गया।



( उम्मेद सिंह रतनू )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी